

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी- श्री महावीर प्रसाद नायक, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० - तारीख दायर तारीख फैसला
73/2019/प्रार्थना पत्र 23.07.2019 05.09.2019

उनवान

- 1- गोपाल पिता हजारी कुमावत नि० बड़ला तहसील फूलियाकलां
 - 2- मिश्रीलाल पिता हजारी कुमावत नि० बड़ला तहसील फूलियाकलां
 - 3- सीताराम पिता हजारी कुमावत नि० बड़ला तहसील फूलियाकलां
 - 4- सत्यनारायण पिता हजारी कुमावत नि० बड़ला तहसील फूलियाकलां
- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- कल्याण पिता गोरू मीणा नि० बड़ला तह० फूलियाकलां
 - 2- जगदीश पिता गोरू मीणा नि० बड़ला तह० फूलियाकलां
 - 3- बन्ना पिता लक्ष्मण मीणा नि० बड़ला तह० फूलियाकलां
 - 4- कालू पिता लादू कुमावत नि० बड़ला तह० फूलियाकलां
 - 5- देबी पिता श्रीराम कुमावत नि० बड़ला तह० फूलियाकलां
 - 6- बाबूलाल पिता जगदीश कुमावत नि० बड़ला तह० फूलियाकलां
 - 7- छोगा पिता गोकल कुमावत नि० बड़ला तह० फूलियाकलां
 - 8- लाला पिता भाग्या कुमावत नि० बड़ला तह० फूलियाकलां
 - 9- गोपाल पिता नन्दा कुमावत नि० बड़ला तह० फूलियाकलां
 - 10- नन्दा पिता लादू गुर्जर नि० बड़ला तह० फूलियाकलां
- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित :- श्री लालाराम गुर्जर : अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम बड़ला पटवार हल्का बड़ला तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के खातेदारी की जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 के खाता संख्या 74 आ०न०



1499 रकबा 0.11 है0, आ0न0 1573 रकबा 0.11 है0, आ0न0 1619 रकबा 0.10 है0, आ0न0 1623 रकबा 0.24 है0, आ0न0 807 रकबा 0.33 है, आ0न0 808 रकबा 0.27 है0, आ0न0 862 रकबा 0.40 है0, आ0न0 1624 रकबा 0.13 है0, आ0न0 1646 रकबा 0.53 है0, आ0न0 1654 रकबा 0.19 है0, आ0न0 471 रकबा 0.20 है0 आ0न0 483 रकबा 0.17 है0, आ0न0 750 रकबा0.21 है0, आ0न0 751 रकबा 0.76 है0, आ0न0 752 रकबा 0.57 है0, आ0न0 753 रकबा 0.34 है0, आ0न0 754 रकबा 1.14 है0 कुल किता 14 रकबा 4.80 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण नं0 1 व 10 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थीगण की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 05.09.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 व 10 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नहीं हुये। अतः अप्रार्थी संख्या 1 से 10 के विरुद्ध दिनांक 05.09.2019 को एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एक तरफा बहस करनी चाही जिससे उनकी बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। ग्राम बड़ला पटवार हल्का बड़ला तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के खातेदारी की जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 के खाता संख्या 74 आ0न0 1499 रकबा 0.11 है0, आ0न0 1573 रकबा 0.11 है0, आ0न0 1619 रकबा 0.10 है0, आ0न0 1623 रकबा 0.24 है0, आ0न0 807 रकबा 0.33 है, आ0न0 808 रकबा 0.27 है0, आ0न0 862 रकबा 0.40 है0, आ0न0 1624 रकबा 0.13 है0, आ0न0 1646 रकबा 0.53 है0, आ0न0 1654 रकबा 0.19 है0, आ0न0 471 रकबा 0.20 है0 आ0न0 483 रकबा 0.17 है0, आ0न0 750 रकबा0.21 है0, आ0न0 751 रकबा 0.76 है0, आ0न0 752 रकबा 0.57 है0, आ0न0 753 रकबा 0.34 है0, आ0न0 754 रकबा 1.14 है0 कुल किता 14 रकबा 4.80 है0 के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :-



आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण 1 लगायत 10 के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बड़ला पटवार हल्का बड़ला तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के खातेदारी की जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 के खाता संख्या 74 आ0न0 1499 रकबा 0.11 है0, आ0न0 1573 रकबा 0.11 है0, आ0न0 1619 रकबा 0.10 है0, आ0न0 1623 रकबा 0.24 है0, आ0न0 807 रकबा 0.33 है, आ0न0 808 रकबा 0.27 है0, आ0न0 862 रकबा 0.40 है0, आ0न0 1624 रकबा 0.13 है0, आ0न0 1646 रकबा 0.53 है0, आ0न0 1654 रकबा 0.19 है0, आ0न0 471 रकबा 0.20 है0 आ0न0 483 रकबा 0.17 है0, आ0न0 750 रकबा0.21 है0, आ0न0 751 रकबा 0.76 है0, आ0न0 752 रकबा 0.57 है0, आ0न0 753 रकबा 0.34 है0, आ0न0 754 रकबा 1.14 है0 कुल किता 14 रकबा 4.80 है0 की प्रार्थीगण के खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 2000/- (अक्षरे दो हजार रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थीगण से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 05.09.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद नायक)

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

फूलिया कलां जिला-भीलवाडा



प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलक्टर